



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124790

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3345 वर्ष 2026

रिंकू यादव

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: राजेश कुमार, सैयद नौशाद हुसैन शाह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता., पंकज कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आज एक अतिरिक्त हलफनामा (सप्लीमेंट्री एफिडेविट) दाखिल किया गया है, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. सूची पुनरीक्षित की गई। अपीलकर्ता के अधिवक्ता मौजूद हैं। हालाँकि, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता मौजूद नहीं हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता और राज्य की ओर से ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड देखा गया।

4. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के तहत दायर की गई है। अपीलकर्ता ने विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, चंदौली द्वारा 09.03.2026 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की है। यह आदेश ज़मानत अर्ज़ी संख्या 373/2026 (विशेष सत्र परीक्षण संख्या 1297/2025) में दिया गया था, जो मुकदमा अपराध संख्या 0073/2025 से संबंधित है। यह मामला बी.एन.एस. की धाराओं 74, 333, 115(2), 352, 351(2), 64(1) और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)व, 3(2)वा, के तहत दर्ज है (पुलिस स्टेशन चकरघट्टा, ज़िला चंदौली)। इस मामले में अपीलकर्ता की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी।

5. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि विवादित एफ.आई.आर. इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि 02.11.2025 को लगभग रात 1:00 बजे, आरोपी-अपीलकर्ता रिकू यादव ने शिकायतकर्ता के घर की बाउंड्री वॉल फांदी और घर के अंदर घुस गया, जहाँ पीड़िता सो रही थी। आरोप है कि उसने पीड़िता को पकड़ा, और जब वह जाग गई और विरोध किया, तो उसने जाति-सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे गाली दी, उसके सिर पर मुक्का मारा, और उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी ने कथित तौर पर उसे बोलने से रोका। इस हंगामे के दौरान, घर का एक बर्तन गिर गया, जिससे ज़ोरदार आवाज़ हुई। शोर सुनकर, उसका पति, जो बाहर के कमरे में सो रहा था, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पाया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसके बाद वह छत पर चढ़ गया और शोर मचाया, जिससे कई ग्रामीण—जैसे जवाहर (प्रभु का बेटा), सोनिया (प्रभु की पत्नी), विजय (रामजी अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का बेटा), अनीता और आर्यन (रामजीत का बेटा) – घर के बाहर जमा हो गए। शोर सुनकर आरोपी घर से भाग गया। पीड़िता ने बाहर का दरवाज़ा खोला, जिससे उसका पति और ग्रामीण अंदर आ सके। हालाँकि उन्होंने दीवार फांदकर भाग रहे आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पीड़िता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के बाद भागने में सफल रहा। यह भी आरोप है कि इस घटना के दौरान प्रभु को चोटें आईं। भागते समय, आरोपी कथित तौर पर अपने जूते, शर्ट और जैकेट पीड़िता के घर पर ही छोड़ गया।

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता पूरी तरह से बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। शुरू में, एफ.आई.आर. बी.एन.एस. की धाराओं 74, 333, 115(2), 352, 351(2) और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं 3(1) (द)(ध) और 3(2) व के तहत दर्ज की गई थी और उस समय अपीलकर्ता पर रेप का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अवर न्यायालय के सामने दर्ज कराए गए बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत बयान में भी, पीड़िता ने अपीलकर्ता पर रेप का कोई आरोप नहीं लगाया था; इसके बाद, जांच अधिकारी के अनुरोध पर विचारण न्यायालय ने आगे की जांच का आदेश दिया और फिर से बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत बयान दर्ज किया गया, जिसमें पीड़िता ने पहली बार अपीलकर्ता पर रेप करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह 21.02.2026 से न्यायिक हिरासत में है और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करने का भरोसा देता है। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

7. विद्वान एजीए ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों का ज़ोरदार विरोध किया और कहा कि मामले की आगे जांच की गई है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पीड़िता ने बी.एन.एस.एस.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में अपीलकर्ता पर रेप करने का खास तौर पर आरोप लगाया है।

8. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, न्यायालय ने पाया कि न तो शुरुआती एफ.आई.आर. में और न ही बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के पहले बयान में रेप का कोई आरोप लगाया गया था। इसके बाद, लगभग दो महीने के अंतराल के बाद, बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत एक और बयान दर्ज किया गया, जिसमें पीड़िता ने पहली बार आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया था। कथित घटना के पांच दिन बाद एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, फिर भी उसमें रेप का कोई आरोप नहीं था।

9. मामले की खूबियों पर कोई राय दिए बिना और आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत, अपीलकर्ता द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने और ज़मानत देने से जुड़े स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाती है कि अपीलकर्ता ज़मानत पाने का हकदार है।

10. नतीजतन, अपील सफल होती है और मंज़ूर की जाती है। ज़मानत अर्ज़ी संख्या 373/2026 में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, चंदौली द्वारा 09.03.2026 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

11. अपीलकर्ता-**रिंकू यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो भरोसेमंद ज़मानती पेश करने पर उक्त मुकदमा अपराध संख्या में ज़मानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) अपील करने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही मामले की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(ii) अपील करने वाला व्यक्ति मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा और तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने मौजूद रहेगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी हो।

(iii) अपील करने वाला व्यक्ति विचारण न्यायालय के सामने एक शपथ-पत्र (अंडरटेकिंग) देगा कि वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर, जब अभियोजन पक्ष के गवाह मौजूद हों, कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा। ऐसा न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उचित आदेश दे सकता है।

(iv) अपील करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(v) अगर अपील करने वाला व्यक्ति विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है और उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत कोई उद्घोषणा जारी की जाती है और वह उस उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय को कानून के मुताबिक उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने की आज़ादी होगी।

(vi) अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (a) मुकदमा शुरू होने पर, (b) आरोप तय होने पर, और (c) बी.एन.एस.एस. की धारा अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



351 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि ऐसी किसी तारीख पर उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।

(vii) अपीलकर्ता की रिहाई के बाद विचारण न्यायालय मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगा।

12. ज़मानत बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित न्यायालय ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और निवास के प्रमाण की जांच करेगी।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताई गई शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और संबंधित न्यायालय अपीलकर्ता की ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

2 जून, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।